803 (2) 798

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	ef35a240f2afe0b7b144
Receipt Date :	19-Dec-2022 03:54:19 pm
Receipt Amount :	35600/-
Amount In Words :	Thirty Five Thousands Six Hundred Rupees Only
Token Number :	20220000149743
Office Name :	SRO - Simdega
Document Type :	Sale Deed
Payee Name :	RANJANA SWATI KERKETTA (Vendee)
GRN Number :	2214850360

19.12.22

-: For Office Use :-

20.12.22

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Ranjana Swati Kerketta
20/12/2022

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	9d610d3d405ab62509bc
Receipt Date :	16-Dec-2022 03:36:44 pm
Receipt Amount :	37200/-
Amount In Words :	Thirty Seven Thousands Two Hundred Rupees Only
Token Number :	20220000149743
Office Name :	SRO - Simdega
Document Type :	Sale Deed
Payee Name :	RANJANA SWATI KERKETTA (Vendee)
GRN Number :	2214813158

-: For Office Use :-

जिला अवर निबंधक, सिमडेगा

20.12.22

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस स्टाम्प के माध्यम से पूर्व में किसी तरह की सेवा नहीं ली गई है

Ranjana Swati Kerketta

17/12/22

सुशील डुंगडुंग

Fee Paid
A1 .... 5460/-
Land Lord Fee 03/-
Process Fee 01/-

20.12.22

Valuation Per Decimals
Land 1,40,000/-

विक्रय सम्पति प्रतिबन्धित भूमि की सूची के अन्तर्गत नहीं है।

विकय पत्र

परमिशन वाद संख्या 158/2022–23 आदेश दिनांक 02.12.2022

(1) **लेख्यकारीगणः–** (1) श्री सुशील डुंगडुंग उम्र 41 वर्ष वो (2) श्री सुदीप डुंगडुंग उम्र 34 वर्ष दोनों के पिता स्व0 लिबिन डुंगडुंग, दादा स्व0 करलुस खड़िया, श्रेणी– अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट 1908 के अन्तर्गत आक्षादित हैं), दोनों पेशा– कृषि, निवास ग्राम– सलडेगा बरटोली, थाना– सिमडेगा, जिला– सिमडेगा, झारखण्ड राज्य, राष्ट्रीयता– भारतीय नागरिक ।

आधार संख्या	मो0 नं0	पैन नं0
(1) XXXX XXXX 3165	9934073255	बी.टी.यू.पी.डी. 9374 ई.
(2) XXXX XXXX 2516	9939718861	आई.एच.पी.पी.डी. 0374 जी.

..............बिकेतागण ।

शपथ–पत्र संख्याः– 537 एवं 538/2022

होल्डिंग नं0 003000739000 एम. 0

मूल पहचान पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र से मिलान किया, सही पाया

मार्ग दर्शिका पंजी से मिलान किया गया।

सुशील डुंगडुंग
20/12/22

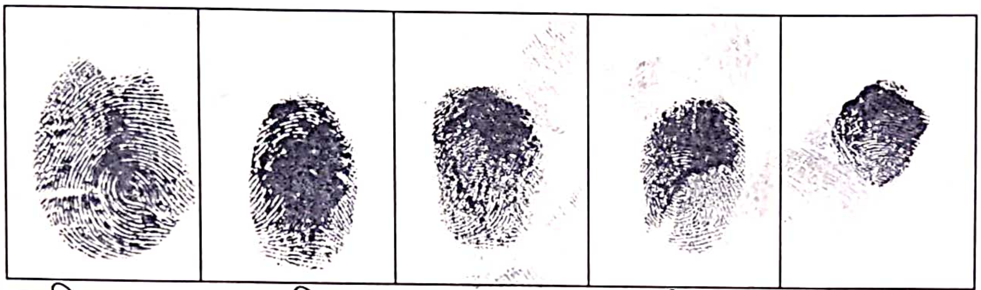

कनिष्ठ	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगुठा

20-12-2022

[illegible] से [illegible] निबन्धन कार्यालय

[illegible] जलपाइगुड़ी

[illegible] सन .... 15 ई

.... के लिखा हुआ

[illegible] प्रमाणीकृत है।

श्री / श्रीमती ....

पता / जिला ....

थाना ....

[illegible]

(2) **लेख्यधारिणीः**— सुश्री रंजना स्वाती केरकेट्टा उम्र 34 वर्ष, पिता श्री नाबोर केरकेट्टा, दादा स्व0 मरकुस खड़िया, श्रेणी— अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी. एक्ट 1908 के अन्तर्गत आक्षादित हैं), पेशा— खेतीबारी, निवास ग्राम— सेवई गोरयाबहार, थाना— सिमडेगा, जिला— सिमडेगा, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक ।

मो0 नं0 8918106163 आधार संख्या XXXX XXXX 2514

पैन नं0 डी.के.एम.पी.के. 9662 के.

.... क्रेतिका ।

शपथ—पत्र संख्याः— 539/2022

(3) **लेख्यप्रकारः**— विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) **मूल्यः**— मोबलिग अठारह लाख बीस हजार रूपये अंके 18,20,000/—रूपये होता है ।

(5) **सम्पतिः**— आवासीय जमीन संरचना रहित एराजियात अन्दर मौजा— सलडेगा बरटोली, वार्ड नं0 3, थाना— सिमडेगा, थाना नं0 117, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला— सिमडेगा के खाता नं0 62 (बारसठ) प्लॉट नं0 247 (दो सौ सैंतालिस) रकबा 0.28 एकड़ में से रकबा 0.13 एकड़ (तेरह डिसमिल) आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है और न ही पेड़ पौधा है। जमीन का जुमला माप— उत्तरी भूजा— 49.3 फीट, दक्षिणी भूजा— 49.3 फीट, पूरबी भूजा— 115 फीट, पश्चिमी भूजा— 115 फीट है ।

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
सलडेगा	सिमडेगा	117	62	247	0.13 एकड़

जिसकी चौहद्दीः—

उत्तरः— पी0 सी0 सी0 पथ अन्य सड़क,

दक्षिणः— बारी अनील कुल्लू वगैरह,

पूरब :— चौरा तारसियुस डुंगडुंग,

पश्चिमः– चौरा इसी प्लॉट का अंश ।

मालगुजारी 1.00 रूपया (एक रूपया) अलावे सेस सलाना ।

हमलोग घोषणा करते हैं कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में बिकी, एकरारनामा, लीज, बंधक, दान आदि नहीं किये हैं ।

(1) चुँकि हम लेख्यकारीगण को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब हमने लेख्यधारिणी से हमारी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए हमलोगों ने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पॉच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचे और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न हमारा कोई हक सरोकार रहा और न हमारे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) हमलोग प्रतिज्ञा करते हैं कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी जमीन है । खतियान में हमारे परदादा देवा खड़िया के नाम से नाप दर्ज है । मालगुजारी रसीद हमारे परदादा के पिता मोदो खड़िया, लेदवा खड़िया वो रोधो खड़िया के नाम से निर्गत होता है जो पंजी ।। के भोल्युम संख्या 1, पृष्ठ संख्या 63 में दर्ज है । बिक्रीत जमीन हमलोगों को मौखिक भैयादी बंटवारा में उत्तराधिकारी के हैसियत से प्राप्त हुआ है तथा हमलोग उक्त जमीन पर निर्विवाद रूप से दखलकार हैं । इस विकीत भू–खण्ड पर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या वारदेन नहीं है । हमलोग शांतिपूर्वक जोत कोड़ वो आबाद कर रहे हैं । खतियान के अनुसार उक्त जमीन काएमी है तथा लगान पानेवाले का नाम मैनेजर इनकम्बर्ड स्टेट मीन जानिब टिकैत शीरी निवास हुकुम सिंह देव दर्ज है ।

(4) चुँकि हम उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं, अतः जमीन खरीद बिकी हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 158/2022–23 है, जिसकी स्वीकृति दिनांक 02.12.2022 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 731 (II) दिनांक 02.12.2022 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिकी की जानेवाली जमीन भू–हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भु–दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ, वन भूमि या किसी भी प्रतिबंधित सूची के तहत नहीं है ।

हमलोग लेख्यकारीगण यह घोषणा करते हैं कि विकीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है । सुशील डुंगडुंग 14/12/22

कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

सुशील डुंगडुंग 14/12/22

सुदीप डुंगडुंग 14/12/22

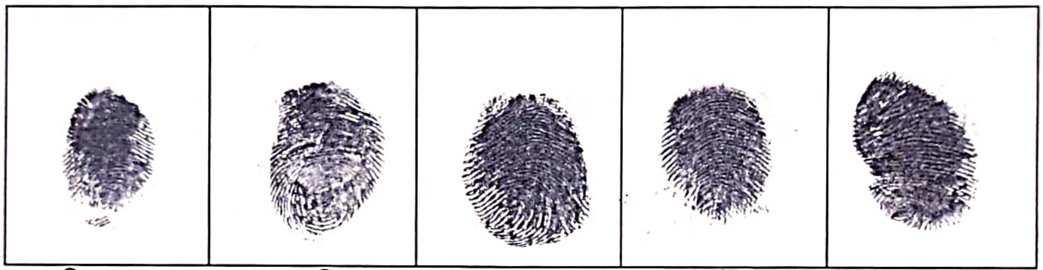

कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

सुदीप डुंगडुंग

प्रमाणित किया जाता है, कि लेख्यकारी श्री सुशील डुंगडुंग वो सुदीप डुंगडुंग के बांए हाथ के पांचो अंगुलियों के छाप मेरे समक्ष लिया गया।

कोमल पाठक अधिवक्ता
14/12/2022

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पुर्व मे धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है, Ranjana Swati Kerketta 14/12/22

रंजना स्वाति केरकेट्टा
Attested
Komal Pathak
14/12/2022

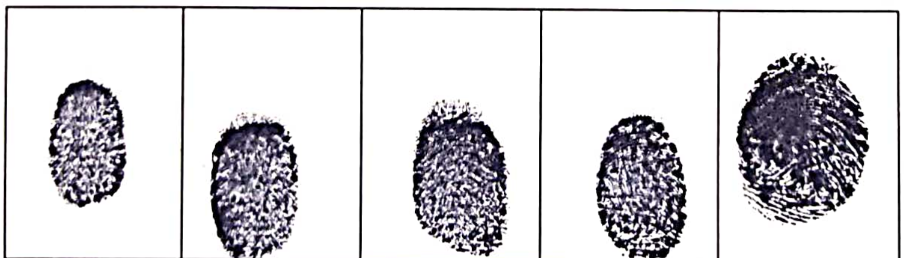

कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है, कि लेख्यधारिणी सुश्री रंजना स्वाति केरकेट्टा के बांए हाथ के पाँचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

कोमल पाठक अधिवक्ता
14/12/2022

पहचानकर्त्ता का सही सुजीत मिंज 14/12/22

कनिष्ठ | अनामिका | मध्यमा | तर्जनी | अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है, कि पहचानकर्ता श्री सुजीत मिंज के बाएं हाथ के पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

कोमल दास अधिवक्ता
14/12/2022

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- कोमल दास
प्रारूपकर्त्ता अधिवक्ता
14/12/2022

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल सात पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक

मो० मकसुद
13-12-2022

मो0 मकसुद,

कचहरी परिसर, सिमडेगा ।

संलग्नक :

1. खतियान का छायाप्रति,
2. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
3. बिकेता के पैन कार्ड का छायाप्रति,
4. केता के पैन कार्ड का छायाप्रति,
5. होल्डिंग टैक्स रसीद का छायाप्रति,
6. शेडयुल का मूल प्रति,
7. आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
8. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति
9. सर्वे नक्सा का छायाप्रति,

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पहचान की स्व अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है या विवरणी दिया है तो पूर्ण रुप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं जालसाजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

सुशील डुंगडुंग
20/12/22